8/5/18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मण्डाभीम मिति में प्रस्तुत हुई पत्रावली का अवलोकन राजस्व लोक अदालत की भावना से किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद 09/2015 में खारिज हो चुका है। अतः अब इस प्रार्थना पत्र 212 RTA का चलने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो डिजिटल से कमी हो। तदेवपि राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मण्डाभीमसिंह में सुनाया गया। मण्डाभीमसिंह MAD'18 Cop सहायक कलक्टर [illegible] लेक

Scanned by CamScanner